रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2017/अग्रहायण 15, 1939
No. 459] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2017/AGRAHAYANA 15, 1939

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2017

सं. एच.आर.डी./22/2016/आर.आर./ओ.एल..—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय बोर्ड, केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से, एतदद्वारा केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2008 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:

1. 1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निदेशक (राजभाषा) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

   2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2008 (इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में संदर्भित) में नियम 2 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

   "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के क्रम संख्या (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

अनुसूची

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निदेशक (राजभाषा) के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पद का नाम	निदेशक (राजभाषा)
2.	पद की संख्या	01* (2017) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय

13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

Dr. V.P. JOY, Central Provident Fund Commissioner and

Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./328/2017]

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section – 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 357, dated the 30th October, 1999.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2017

सं. एच.आर.डी./2/2017/आर.आर./एस.एस..—कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5 डी की उपधारा (7) के क्लॉज (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अनुभाग पर्यवेक्षक (मुख्य लिपिक)(क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम 1992 के स्थान पर (इसके पूर्व किए गए बदलाव के अतिरिक्त) केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, केंद्र सरकार के अनुमोदन से, एतदद्वारा केंद्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुभाग पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्ति के तरीके का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है:

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ-

1) इन नियमों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अनुभाग पर्यवेक्षक, भर्ती नियम, 2017 कहा जाएगा।

2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में लेवल-

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में उनका लेवल वे होंगे जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य अहर्ताएं आदि-

भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहर्ताएं और इस पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. अयोग्यता- वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, अथवा

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय बोर्ड, संतुष्ट है कि ऐसे विवाह की, उस व्यक्ति पर लागू व्यक्तिगत विधि (पर्सनल लॉ) के अधीन तथा विवाह के अन्य पक्षकार को, अनुमति है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो बोर्ड किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

5. ढ़ील देने की शक्ति-

जहां केंद्रीय बोर्ड की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा उचित है, वहां वह केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से तथा ऐसा करने के कारणों को लिखित में रिकॉर्ड करके इन नियमों के किसी उपबंध से किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा ढ़ील दे सकेगा।

6. व्यावृत्ति –

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैरचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
अनुभाग पर्यवेक्षक	2698* (2017) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनीय	ग्रुप 'ख'	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-7 (44900-142,400 रूपये)	चयन पद

सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु आयु सीमा	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों हेतु शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	**क्या सीधी भर्ती के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आयु तथा शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति क्या सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन के द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों के द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	**पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होने की स्थिति में श्रेणियां, जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा**
(10)	(11)
(i) 66 2/3% वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा (यदि अनफीट न हों) (ii) 33 1/3% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : (i) संबंधित आंचलिक कार्यालयों में पांच वर्ष की नियमित सेवा सहित लेवल-6 (35400-112400) में वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक (ii) संबंधित अंचल में कार्यरत वैसे कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष से कम समय से वरिष्ठ सामाजिक सुरक्षा सहायक लेवल-6 (35400-112400) में सेवारत हैं तथा इसके हेतु आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी आयोजित परीक्षा के आधार पर कार्यरत हैं। नोट: संबंधित अंचल से तात्पर्य है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालय जहां सामान्य वरिष्ठता लागू हैं।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति गठित है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय पदोन्नति ममिति (पदोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिममें शामिल हैं:- i. अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (अंचल) - अध्यक्ष ii. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I (अंचल कार्यालय) - सदस्य iii. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बाहर के केंद्रीय सरकार के विभाग या संगठन से कोई अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं

डॉ. वी.पी. जोय, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं सचिव,
केन्द्रीय बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि

[विज्ञापन-III/4/असा./328/17]

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2017

No. HRD/2/2017/RR/SS.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (7) of Section 5D of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), and in supersession of the Employees' Provident Fund Organisation Section Supervisor (Head Clerk) (Regional Office), Recruitment Rules, 1992 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board, Employees' Provident Fund hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment for the post of Section Supervisor in Employees' Provident Fund Organisation, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Employees' Provident Fund Organisation, Section Supervisor, Recruitment Regulations, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. **Number of posts, classification, and level in the pay matrix.-** The number of the post, its classification and Level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.-** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.- No Person, -**

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to the said post.

   Provided that the Central Board, Employees' Provident Fund may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these regulations.

5. **Power to relax.-** Where the Central Board, Employees' Provident Fund is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, with the prior approval of the Central Government, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.-** Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of post**	**Classification**	**LEVEL in the Pay Matrix**
(1)	(2	(3)	(4)
Section Supervisor	2698* (2017) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	LEVEL 7 in the Pay Matrix [Rs.44,900 – 1,42,400]

Whether selection post or Non-selection post	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees**	**Period of probation, if any**
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(10)	(11)
(i) 66 2/3% by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit. (ii) 33 1/3% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination.	(i) Senior Social Security Assistants in LEVEL-6 (Rs.35400 – 112400) with five years' of regular service rendered in the respective zonal offices; (ii) Employees serving in the respective zone on the basis of Limited Departmental Competitive Examination held for those who have rendered not less than five years' service as Senior Social Security Assistants in LEVEL-6 (Rs.35400 – 112400). **NOTE:** Respective Zone means all offices of Employees' Provident Fund Organisation sharing a common seniority.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Promotion Committee **(for considering Promotion)** consisting of: 1. Additional Central Provident Fund Commissioner (Zone) – **Chairman** 2. Regional Provident Fund Commissioner – I (Zonal Office) – **Member** 3. An officer from Central Government Department or Organisation outside the Employees' Provident Fund Organisation – **Member.**	Not Applicable

Dr. V.P. JOY, Central Provident Fund Commissioner and

Secy., Central Board, Employees' Provident Fund

[ADVT.-III/4/Exty./328/2017]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.12.08 10:52:54 +05'30'